**भारत सरकार**
**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 359**
**02.02.2026 को उत्तर के लिए**

**केरल में मानव-पशु संघर्ष**

**359. श्री कोडिकुन्नील सुरेशः**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले दस वर्षों के दौरान केरल राज्य में सूचित की गई मानव-पशु संघर्ष की घटनाओं का वर्ष-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त अवधि के दौरान वन्यजीवों के कारण हुई लोगों की मृत्यु और गंभीर चोटों के मामलों की वर्ष-वार और जिला-वार संख्या कितनी है;
(ग) ऐसी घटनाओं में शामिल जानवरों का प्रजाति-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) पिछले दस वर्षों के दौरान उक्त राज्य में पीड़ितों या उनके परिवारों द्वारा दावा की गई, स्वीकृत की गई और उन्हें भुगतान की गई मुआवजे की राशि का वर्ष-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या मुआवजे के भुगतान में किसी देरी या कमी की सूचना मिली है, और यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और
(च) केरल राज्य में मानव-पशु संघर्ष को कम करने के लिए सरकार द्वारा निवारक बुनियादी ढांचे, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और आवास प्रबंधन सहित क्या उपाय किए गए हैं?

**उत्तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :**
**(श्री कीर्तवर्धन सिंह)**

(क) से (च) मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने सहित वन्यजीवों का प्रबंधन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासन की जिम्मेवारी है। मानव-वन्यजीव संघर्ष की स्थिति में राज्य सरकार/संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासन प्रथम उत्तरदाता होता है। मानव-वन्यजीव संघर्ष के संबंध में दावाकृत मुआवजे और अदा किए गए मुआवजे के जिला-वार आंकड़े, राज्य सरकार के स्तर पर रखे जाते हैं। मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन और उसके उपशमन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं:

i. मानव-वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए फरवरी 2021 में मंत्रालय द्वारा एक परामर्शी जारी की गई है। यह परामर्शी विभिन्न विभागों के बीच समन्वित कार्रवाई, मानव-वन्यजीव संघर्ष संभावित हॉटस्पॉट्स की पहचान, मानक प्रचालन प्रक्रियाओं के पालन, त्वरित प्रतिक्रिया दलों के गठन, राज्य एवं जिला स्तर की समितियों के गठन की सिफारिश करता है, ताकि अनुग्रह राहत राशि की समीक्षा कर उसके त्वरित भुगतान को सुनिश्चित किया जा सके और मृत्यु एवं चोट के मामलों में प्रभावित व्यक्तियों को, अधिमानतः 24 घंटे के भीतर, शीघ्र राहत भुगतान हेतु मार्गदर्शन एवं निर्देश जारी किए जा सकें।

ii. मंत्रालय ने दिनांक 3 जून 2022 को राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों के लिए मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनमें फसलों को होने वाले नुकसान से जुड़े मामलों को भी शामिल किया गया है।

iii. मंत्रालय ने दिनांक 21.03.2023 को मानव और वन्यजीव जिसमें हाथी, गौर, तेंदुआ, साँप, मगरमच्छ, रीसस मकाक (बंदर), जंगली सूअर, भालू, नीलगाय और काला हिरण शामिल है, के संघर्ष शमन के लिए प्रजाति-विशेष दिशानिर्देश भी जारी किए हैं।

iv. केंद्र सरकार राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र सरकारों को '*वन्यजीव पर्यावासों का विकास*' तथा 'बाघ *एवं हाथी परियोजना*' *जैसी* केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत वन्यजीवों एवं उनके *पर्यावास* के प्रबंधन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिसमें जंगली जानवरों द्वारा की गई क्षति के लिए मुआवजा**,** फसलों में जंगली जानवरों के प्रवेश को रोकने हेतु कंटीले तार की बाड़, सौर ऊर्जा चालित विद्युत बाड़, कैक्टस के माध्यम से जैव-बाड़, चारदीवारी आदि जैसे भौतिक अवरोधों का निर्माण, क्षमता निर्माण**,** तथा मानव-वन्यजीव संघर्ष के पीड़ितों को अनुग्रह राहत प्रदान करने जैसी व्यापक गतिविधियां शामिल हैं। मानव-वन्यजीव संघर्ष के कारण पशुधन, फसलों तथा मानव जीवन की हानि एवं चोटों सहित हुई क्षति के लिए राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र सरकारें निर्धारित मानदंडों के अनुसार अनुग्रह राहत भुगतान करती हैं, जो राज्य दर राज्य भिन्न-भिन्न होती हैं।

v. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 11(1)(क) राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को यह अधिकार देती है कि यदि अनुसूची-I में शामिल कोई पशु मानव जीवन के लिए खतरनाक हो जाए, तो उसके शिकार की अनुमति दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त, धारा 11(1)(ख) के अंतर्गत राज्य का मुख्य वन्यजीव वार्डन या कोई प्राधिकृत अधिकारी अनुसूची-II में शामिल वन्यजीवों के शिकार की अनुमति दे सकता है, यदि ऐसे पशु मानव जीवन या संपत्ति के लिए खतरनाक बन जाएँ।

*****